GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 08 March, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 04 **Syllabus : GS 2 : Inernational Relations**	विदेश मंत्री वांग ने कहा कि मोदी-शी की मुलाकात के बाद भारत और चीन ने सकारात्मक प्रगति की है।
Page 05 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	विकलांग कैदियों की दुर्दशा पर ध्यान देने की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट
Page 06 **Syllabus : GS 1 : Social Issue**	सार्वजनिक स्थानों में समावेश - भय से स्वतंत्रता तक
Page 11 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	2030 तक 10 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मसालों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना
In News	विश्व मसाला संगठन (WSO)
Page 06 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 1 : Social Issue**	भारत में विज्ञान में महिलाओं के लिए एक समान भविष्य

GEO IAS It's about quality

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कज़ान (अक्टूबर 2023) में मोदी-शी बैठक के बाद भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने प्रतिद्वंद्विता के बजाय आपसी सहयोग पर जोर दिया, साथ ही दोहराया कि सीमा विवादों को द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए।

India, China made positive strides after Modi-Xi meet, says Foreign Minister Wang

Press Trust of India
BEIJING

A ballet between the elephant and the dragon contributing to each other's success is the "only right choice" for India-China relations, Foreign Minister Wang Yi said on Friday as he acknowledged positive strides in bilateral ties after the end of the military stand-off in eastern Ladakh.

There is every reason for us to support each other rather than undermine each other or undercut each other, he said at his annual press conference.

The successful meeting between President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi in Kazan last October provided strategic guidance for the development of the bilateral ties, Mr. Wang said.

After that "both sides have earnestly followed through on the important common understandings of our leaders, strengthened exchanges and practical cooperation at all levels, and achieved a series of positive outcomes", he added.

Wang Yi

In a reference to India stressing the importance of peace at borders for the development of relations, Mr. Wang reiterated China's repeated stand that the differences over the boundary or on other issues should not affect the bilateral ties.

"We should never allow bilateral relations to be defined by the boundary question or specific differences to affect the overall picture of our bilateral ties," he said.

As important members of the Global South, China and India have the responsibility to take a lead in opposing hegemonism and power politics, he said in an apparent reference to the U.S. The two countries must not only safeguard legitimate rights and interests of respective countries but also uphold the basic norms governing international relations, he added.

"If China and India join hands, the prospect of greater democracy in international affairs and the stronger Global South will improve greatly," he said.

He said 2025 marks the 75th anniversary of China-India diplomatic relations. "China stands ready to forge a path forward and advance China-India relations on the track of stable development," he said.

वांग यी के वक्तव्य की मुख्य बातें:

1. सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में सुधार

- पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद दोनों पक्षों ने नेताओं की सहमति को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।
- कूटनीतिक जुड़ाव और व्यावहारिक सहयोग में वृद्धि हुई है।

2. सीमा मुद्दे पर चीन का रुख

- चीन का कहना है कि सीमा विवादों को भारत-चीन संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए।
- हालांकि, भारत का कहना है कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति आवश्यक है।
- सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रहने के साथ ही सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

3. वैश्विक शक्ति राजनीति पर चीन का रुख

- चीन और भारत को 'आधिपत्यवाद और शक्ति राजनीति' (अमेरिकी प्रभाव का अर्थ) का विरोध करना चाहिए।
- उन्होंने वैश्विक शासन में बहुध्रुवीयता की वकालत करते हुए भारत और चीन को वैश्विक दक्षिण के नेताओं के रूप में रेखांकित किया।

4. आगामी मील का पत्थर: राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष (2025)

- चीन ने इस वर्षगांठ तक स्थिर संबंधों की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की।

भारत-चीन संबंधों में मुख्य मुद्दे:

सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध

- पूर्वी लद्दाख गतिरोध (2020) के कारण संबंध तनावपूर्ण हो गए और आर्थिक प्रतिबंध लग गए।
- विघटन में प्रगति देखी गई है, लेकिन पूर्ण डी-एस्केलेशन अधूरा है।
- बार-बार सीमा उल्लंघन के कारण विश्वास की कमी बनी हुई है।

व्यापार संबंध और आर्थिक निर्भरता

- भारत-चीन व्यापार 2023 में 136 बिलियन डॉलर को पार कर गया, लेकिन भारत को 101 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम कर रहा है।

रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा चिंताएँ

- क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ भारत के बढ़ते संबंध और दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति घर्षण पैदा करती है।
- चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और पाकिस्तान (CPEC), नेपाल और श्रीलंका में इसकी गतिविधियाँ भारत के लिए चिंताएँ बढ़ाती हैं।

भू-राजनीतिक सहयोग और बहुपक्षीय जुड़ाव

- द्विपक्षीय तनाव के बावजूद भारत और चीन ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी (रूस-भारत-चीन) और जी20 में सहयोग करते हैं।
- दोनों वैश्विक शासन और विकासशील दुनिया के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए जोर देते हैं।

आगे की राह:

- सीमा विवाद समाधान: पूर्ण विघटन के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता जारी रखें।
- आर्थिक रणनीति: व्यापार निर्भरता कम करें, मेक इन इंडिया और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करें।
- क्षेत्रीय स्थिरता: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करें।
- वैश्विक जुड़ाव: वैश्विक राजनीति में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ब्रिक्स, जी20, एससीओ में एक साथ काम करें।

निष्कर्ष:

मोदी-शी बैठक के बाद भारत-चीन संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन बुनियादी सीमा तनाव और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है। सहयोग और प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: गलवान के बाद भारत-चीन संबंधों में हाल के घटनाक्रमों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। चीन के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? (250 words)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और स्टेन स्वामी के मामलों का हवाला देते हुए विकलांग कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली अमानवीय स्थितियों को उजागर करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत जेलों में उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया गया है।

Plight of prisoners with disabilities needs attention: SC

Top court issues notice to Centre on plea that highlighted the trauma and inhumane conditions suffered by G.N. Saibaba and Stan Swamy

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday said a petition highlighting the trauma and inhumane conditions suffered by Professor G.N. Saibaba and the elderly Stan Swamy raised a "serious" issue about the lack of disabled-friendly accommodation and facilities in prisons across the country.

A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta agreed with advocate Kaleeswaram Raj, representing petitioner Sathyan Nadavoor, that even the Persons with Disabilities Act of 2016 did not contain a legal framework to protect the rights of prisoners with disabilities and provide them "reasonable accommodation".

Both judges said the specific issue had not been adjudicated by the top court and needed serious attention. The court issued formal notice to the Union government.

"The demise of Prof. G.N. Saibaba, a scholar and human rights activist with disabilities, was directly attributable to his deteriorating health, exacerbated by prolonged incarceration and the inhumane conditions of his detention. Stan Swamy also struggled with disability due to Parkinson's syndrome and died while in prison. He was denied medical treatment and basic support," the petition submitted.

"There are no provisions for disabled prisoners that provide for their specific needs. They are still housed in the same facilities as non-disabled inmates, thereby receiving similar treatment regardless of their specialised requirements. This vitiates the purpose of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016," the petition noted.

The prison manuals of most States continue to lack mandatory provisions for ramps and other accessibility measures in prisons. This failure persists in matters of basic mobility within prison premises, in direct contravention of the statutory requirements set forth by the Act, it said.

Major drawback: The Persons with Disabilities Act does not have a legal framework to protect the rights of prisoners, said the plea.

उठाए गए मुख्य मुद्दे:

1. विकलांगों के अनुकूल जेल सुविधाओं का अभाव:

- भारत की जेलों में विकलांग कैदियों के लिए अलग से प्रावधान नहीं हैं।
- रैंप, सहायक उपकरण या विशेष चिकित्सा देखभाल जैसे कोई अनिवार्य पहुँच उपाय नहीं हैं।

2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में कानूनी खामियाँ

- अधिनियम में विकलांग कैदियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।
- उनकी सुरक्षा, पुनर्वास या उचित आवास के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।

3. मानवाधिकारों का उल्लंघन:

- जी.एन. साईबाबा और स्टेन स्वामी की मृत्यु विकलांग कैदियों के अधिकारों की उपेक्षा के परिणामों को उजागर करती है।
- चिकित्सा सहायता से इनकार और विशेष प्रावधानों की कमी से उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो जाती है।

न्यायिक हस्तक्षेप:

- सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा गंभीर है और इसमें तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

व्यापक निहितार्थ:

- कानूनी और नीतिगत सुधार: विकलांग कैदियों के लिए अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करने के लिए जेल अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता।
- जेल अवसंरचना: सुलभ जेल सुविधाओं, प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों और पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता।
- मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य: संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत विकलांगता अधिकारों और मौलिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के साथ जेल की स्थितियों को संरेखित करना।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से भारत की जेल प्रणाली में संरचनात्मक सुधार हो सकते हैं, जिससे विकलांग कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित हो सकेगा। उनकी गरिमा और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में कैदियों की स्थिति मानवाधिकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विकलांग कैदियों के विशेष संदर्भ में जेल सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। **(250 words)**

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की पहुँच और सुरक्षा भारत में प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक चिंता बनी हुई है। महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक 2023 ने भारत को 177 देशों में से 128वां स्थान दिया, जो लैंगिक समानता और गतिशीलता में लगातार चुनौतियों को उजागर करता है। इन बाधाओं को दूर करना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

1. लैंगिक स्थानिक नियंत्रण और सामाजिक प्रतिबंध

- महिलाओं की आवाजाही अक्सर पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है।
- सार्वजनिक स्थान लैंगिक होते हैं, जहाँ महिलाओं से निजी/घरेलू स्थानों पर रहने की अपेक्षा की जाती है।
- डेटा इनसाइट्स (NFHS-4, 2015-16):
  - 54% महिलाएँ अकेले बाज़ार जा सकती हैं।
  - 50% स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर सकती हैं।
  - 48% अकेले अपने गाँव/समुदाय से बाहर यात्रा कर सकती हैं।

2. कार्यबल और आर्थिक गतिविधियों में सीमित भागीदारी

- महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) (2023-24): 35.6% (अभी भी कम)।
- अधिकांश महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों का उपयोग केवल कार्यात्मक आवश्यकताओं (कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) के लिए करती हैं, अवकाश या मनोरंजन के लिए नहीं।
- कथित सुरक्षा के कारण क्यूरेटेड स्थानों (मॉल, कैफे) में उपस्थिति अधिक है।

3. लिंग आधारित हिंसा और सामाजिक कलंक का खतरा

- सार्वजनिक स्थान अक्सर असुरक्षित होते हैं, जिससे महिलाओं द्वारा निरंतर सतर्कता और आत्म-नियमन की आवश्यकता को बल मिलता है।
- उत्पीड़न के डर से सड़कों, फुटपाथों और खुले क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति अक्सर प्रतिबंधित होती है।
- पीड़ित को दोषी ठहराने की संस्कृति महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने अधिकार का दावा करने से हतोत्साहित करती है।
- लिंग आधारित अपराधों के लिए कम सजा दर अपराधियों के लिए दंडात्मकता बढ़ाती है।

सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त करना: दृष्टिकोण में बदलाव

आवश्यकता से परे: अवकाश और स्वायत्तता

- क्यों लोइटर? (फड़के, रानाडे, खान, 2011) से प्रेरित होकर, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की भागीदारी केवल आवश्यकता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें अवकाश और आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए।
- महिलाओं को बिना किसी आग्रह या प्रतिबंध के सार्वजनिक स्थानों पर "बस मौजूद रहने" में सक्षम होना चाहिए।

भय और प्रतिबंध के चक्र को तोड़ना

- सुरक्षा की कथित आवश्यकता स्वायत्तता को कम करती है, जिससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो जाती है।
- सार्वजनिक स्थानों से बचने के बजाय, महिलाओं को अपनी उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सक्रिय रूप से पुनः प्राप्त करना चाहिए।

समान जोखिम, असमान भेद्यता

- पुरुषों को भी सड़क पर हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी गतिशीलता पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- महिलाओं को सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति को सामान्य बनाना चाहिए।

समावेशी सार्वजनिक स्थानों के लिए नीतिगत सिफारिशें:

शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में बदलाव

- दृश्यता और सुरक्षा में सुधार के लिए बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग।
- महिलाओं की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक शौचालय।
- महिलाओं की अवकाश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रीट फ़र्नीचर (बेंच, बैठने की जगह)।
- महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए अधिक मनोरंजक क्षेत्र।

कानूनी सुधार और मज़बूत कानून प्रवर्तन

- सार्वजनिक स्थानों पर लिंग आधारित अपराधों के लिए सख्त सज़ा।
- बार-बार अपराध करने वालों को रोकने के लिए उच्च सजा दर।
- पीड़ित को दोषी ठहराने की कहानियों को समाप्त करें; अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करें।

समुदाय और सामाजिक हस्तक्षेप

- महिलाओं की गतिशीलता को प्रतिबंधित करने वाले पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान।
- गैर-पारंपरिक सार्वजनिक स्थानों (सड़कों, परिवहन केंद्रों, पार्कों) में महिलाओं की दृश्यता को प्रोत्साहित करना।

- लिंग आधारित उत्पीड़न का सक्रिय रूप से विरोध करके सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने में पुरुषों की भूमिका।

आगे की राह:

सच्ची लैंगिक समानता के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और उसे सामान्य बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को भय के क्षेत्रों से स्वतंत्रता क्षेत्रों में बदलना महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक समावेश के लिए आवश्यक है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गतिशीलता और भागीदारी पर लैंगिक स्थानिक नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरणों के साथ चर्चा करें। **(250 words)**

GEO IAS
It's about quality

भारत, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद, वैश्विक मसाला बाजार में चीन (12%) और अमेरिका (11%) की तुलना में केवल 0.7% हिस्सेदारी रखता है। विश्व मसाला संगठन (WSO) ने निर्यात बढ़ाने और भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा 2030 तक निर्धारित 10 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए न्यूट्रास्युटिकल और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों में मूल्य संवर्धन और विविधीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

Boost value addition in spices to achieve $10-bn export target by 2030: WSO

Mini Tejaswi
BENGALURU

Regardless of being the largest producer and exporter of diverse varieties of spices in the world, India's share in the global seasoning market, pegged at $14 billion in 2024, is only a paltry 0.7%, against China's 12% and U.S.'s 11%, said Ramkumar Menon, chairman, The World Spice Organisation (WSO).

India currently exports 1.5 million tonne of spices of all kinds worth $4.5 billion, commanding a quarter of the global spice market valued at $20 billion.

Mr. Menon said currently only 48% of India's spice exports were valued-added products while the remaining bulk hits the markets as culinary whole spices.

To achieve the Spices Board of India's export target of $10 billion by 2030, the country's share in value-added spices should rise up to 70%, he opined.

"Seasoning is a huge market. Despite India being the largest producer and exporter of spices, our current share in seasoning is really low, and we have a huge opportunity to grow in this segment," he said.

Mr. Menon further said, it was also critical for the Indian spice sector to explore the nutraceutical and pharmaceutical value of spices in a big way.

'Tap nutraceuticals'

"We should explore the nutraceutical and pharmaceutical scope of our spices in a major way. This is another way of value adding by finding newer ways of useful consumption for our spices. Several spices are already being used by Ayurveda and other schools of medicine," he pointed out.

Spice it up: Only 48% of spice exports were valued-added products while the rest hit the market as culinary whole spices. THE HINDU

Mr. Menon added that some 85% of the spices grown in India are consumed domestically. Although India leads the world in spice production, Vietnam, Indonesia, Brazil and China are also active players in the global spice markets. Africa has also entered spice production in recent years.

Emerging producers

On the importance of increasing spice production within the country, he observed that other than the traditional spice-growing States in the country, the North Eastern region, Odisha and Jharkhand were emerging as sizable producers of various spices.

"India has 15 different agro-climatic zones and this helps us grow a wide variety of spices, almost in all States," he said.

"Export possibilities are huge. To cash in on this, we have to first increase our production. We also have to find ways to bring down cost of production and increase focus on quality and scale our share in value added spices," he added.

WSO, a platform that unites all stakeholders in the spice industry comprising farmers, processors, academics, and end-users, is working closely with several farmer producer organisations (FPOs) to boost production, exports and value addition. FPOs are sensitised on safety, quality and sustainability in spice cultivation by training farmers on quality control issues and teaching them the importance of growing spices while limiting pesticide use.

Pest management

Spice farmers are also trained in integrated pest management, water management and hygiene practices around handling, processing and packaging.

He also emphasised on the need for developing high-yielding and climate-resistant varieties of spices in the country, adding organisations such as Indian Council of Agricultural Research and National Research Centre on Seed Spices have been already working on these fronts.

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ:

1. निर्यात में कम मूल्य संवर्धन

- निर्यात किए जाने वाले मसालों में से केवल 48% ही मूल्य-वर्धित हैं, जबकि शेष कच्चे साबुत मसाले हैं।
- मूल्य संवर्धन (जैसे मसाला मिश्रण, अर्क, तेल और न्यूट्रास्युटिकल अनुप्रयोग) प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता को बढ़ाता है।

2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा

- वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील और चीन वैश्विक मसाला बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं।
- अफ्रीका एक नए उत्पादक के रूप में उभर रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।

3. न्यूट्रास्युटिकल और फार्मास्युटिकल बाजारों में विविधीकरण की आवश्यकता

- मसालों में औषधीय गुण होते हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद और आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है।
- न्यूट्रास्युटिकल्स में विस्तार करने से बाजार की मांग और राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

4. उत्पादन और लागत चुनौतियाँ

- उत्पादन की उच्च लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।
- मसालों की उच्च उपज देने वाली और जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- टिकाऊ खेती के लिए एकीकृत कीट और जल प्रबंधन आवश्यक है।

5. उत्पादन के लिए क्षेत्रीय विस्तार

- पारंपरिक मसाला उत्पादक राज्य उत्पादन में हावी हैं।
- पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा और झारखंड नए मसाला केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

आगे की राह और नीतिगत हस्तक्षेप:

मूल्य संवर्धन में वृद्धि:

- कच्चे निर्यात से आगे बढ़ने के लिए मसाला प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना।
- वैश्विक बाजारों के लिए मसाला तेल, ओलियोरेसिन और मसाला उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना:

- उच्च उपज देने वाली और जलवायु प्रतिरोधी मसाला किस्मों में निवेश करना।
- आईसीएआर और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र से अनुसंधान का लाभ उठाना।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करना:

- किसानों को गुणवत्ता नियंत्रण, जैविक खेती और टिकाऊ खेती में प्रशिक्षित करना।
- वैश्विक स्वीकृति के लिए कीटनाशक नियंत्रण उपायों को लागू करना।

ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार में पैठ को बढ़ावा देना:

- मालाबार काली मिर्च, मिजो मिर्च और एलेप्पी हरी इलायची जैसे भारतीय भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाले मसालों को बढ़ावा देना।
- निर्यात साझेदारी को मजबूत करना और वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

10 बिलियन डॉलर के मसाला निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को कच्चे मसालों के निर्यात से हटकर मूल्य-वर्धित उत्पादों की ओर रुख करना होगा, न्यूट्रास्युटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में विस्तार करना होगा और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना होगा। मसाला उद्योग में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, किसान प्रशिक्षण और बाजार विस्तार का लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: कृषि निर्यात बढ़ाने में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का मूल्यांकन करें। वे मसाला क्षेत्र में कैसे मदद कर सकते हैं? (250 words)

GEO IAS
It's about quality

In News : World Spice Organisation (WSO)

विश्व मसाला संगठन (डब्लू.एस.ओ.) के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा कि वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.7% है, जिसका मूल्य 2024 में 14 बिलियन डॉलर होगा, जबकि चीन की हिस्सेदारी 12% और अमेरिका की 11% होगी।

विश्व मसाला संगठन के बारे में

- यह **2011** में भारत की मसाला राजधानी कोच्चि, केरल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह त्रावणकोर कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी अधिनियम, **1956** के तहत पंजीकृत है।
- उद्देश्य: "खाद्य सुरक्षा और स्थिरता" के मुद्दों से निपटने में मसाला उद्योग को सुविधा प्रदान करना।
- डब्लूएसओ अपने सभी हितधारकों- आम जनता, उद्योग, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को शामिल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।
- डब्लूएसओ उद्योग के लिए लाभकारी सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाएं चलाता है।
- डब्लूएसओ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च (आईआईएसआर), रेनफॉरेस्ट अलायंस, जीआईजेड (जर्मनी) और आईडीएच - द सस्टेनेबल ट्रेड इनिशिएटिव (नीदरलैंड) के साथ मिलकर स्थिरता और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली पहलों में शामिल है।
- **WSO** मसाला उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अमेरिकी मसाला व्यापार संघ (**ASTA**), यूरोपीय मसाला संघ (**ESA**), अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (**IPC**) आदि जैसे वैश्विक मसाला संघों के साथ भी बातचीत करता है।
- **WSO** मसालों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं में भाग लेता है, जैसे कि **FSSAI, BIS, ISO** और कोडेक्स, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानक निर्धारित करते समय उद्योग के हितों पर विचार किया जाए।
- यह अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच (**AISEF**) का तकनीकी भागीदार है।

An equitable future for women in science, in India

Anita Shet

is Professor of International Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Kamini Walia

is a Senior Scientist at the Indian Council of Medical Research

Women in science navigate a minefield of challenges that often start early. Educational barriers, such as limited access to quality schools and gendered societal norms, can discourage girls from pursuing science, technology, engineering, and mathematics (STEM). For those who persist and are fortunate to get past these early hurdles, cultural expectations frequently demand that they prioritise family over careers, severely jeopardising professional growth. Gender stereotypes further restrict opportunities, affecting hiring, promotions and funding. Harassment and discrimination in academic settings add another dimension of hostility that push many women out of the field.

A study of STEM scientists

Globally, as well as in India, we see similar patterns. A study of STEM scientists across 38 countries reveals higher attrition rates for women, driven by non-inclusive workplaces, work-life balance struggles, and limited access to high-impact research.

These barriers slow career progression and reduce access to senior roles and professional networks, increasing dropout rates. The postdoc-to-faculty transition is especially challenging for women, with familial responsibilities, low confidence, and a lack of female role models cited as key factors, as highlighted by research from the National Institutes of Health.

These barriers compel us to consider why it is vital to prioritise the retention of women in science. Diverse teams drive creativity and innovation, leading to breakthroughs by integrating multiple perspectives. More women in science also results in role models for future generations, inspiring girls to pursue STEM. Promoting equity ensures that women can contribute fully to scientific progress, enriching society with a more inclusive workforce.

This conversation has progressed little over the centuries. The "Matilda Effect" – named after 19th-century feminist Matilda Joslyn Gage – describes the tendency to downplay or overshadow women's scientific contributions in favour of their male colleagues, highlighting the historic struggle for proper recognition of women's innovations. Nearly 200 years later, gender inequity in STEM persists. Jacob Clark Blickenstaff's "leaky pipeline" metaphor describes women dropping out of STEM due to biased pedagogy, a lack of role models, and hostile workplaces. Critiqued as somewhat simplistic, this model does not consider systemic power dynamics. A more recent "Chutes and Ladders" model focuses on broader structural and environmental barriers, highlighting how mentorship, access to hidden knowledge, and career disruptions disproportionately hinder women, minorities, and marginalised groups, emphasising the need to address inequities within academic systems.

A survey across India

Examining these concepts is particularly valuable in the context of India, where conservative attitudes abound. In an extensive survey across 98 institutions across India conducted in 2020-21, the proportion of women faculty members across all the fields was a mere 17%, ranging from 23% in biology to 8% in engineering. The proportion was even lower within higher-ranked institutions, with dwindling ratios within senior career faculty. The data showed that women scientists were vastly under-represented at conferences and often overlooked in career-enhancing activities.

Addressing these challenges demands a reimagined approach that embraces diverse career paths and involves policymakers, institutions, and the scientific community in fostering inclusivity, particularly for underrepresented and economically disadvantaged women. Approaches vary based on the timing of intervention. Early intervention, engaging parents, educators, and the broader social environment, is key to lasting impact.

We propose three key recommendations to improve the retention of women in STEM at the early- and mid-career levels. First, institutional changes such as flexible work options, affordable childcare, and policies supporting work-family integration are essential. Second, public recognition of both triumphs and obstacles is crucial. Showcasing successful women in science challenges stereotypes, inspires the next generation, and reinforces the need for greater visibility and representation. At the same time, calling out setbacks, as exemplified by BiasWatchIndia, can drive incremental progress by exposing gender inequities in academia. Finally, a nuanced approach across career stages is crucial, eliminating age restrictions on grants, fostering mentorship networks, supporting career re-entry after a break for family or personal reasons, and amplifying senior women's voices in leadership and decision-making.

Interventions

The Indian government has taken significant steps to advance gender equity in science and technology. The Department of Science and Technology (DST) launched the Gender Advancement for Transforming Institutions (GATI) pilot in 2020 to foster an inclusive environment for women and gender-diverse individuals in STEM, supporting participation-boosting initiatives such as the Women in Science and Engineering-Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing, or WISE-KIRAN, and the Women Scientists Scheme (WOS) programmes. Noteworthy efforts include the Department of Biotechnology's Biotechnology Career Advancement and Re-orientation (BioCARe) programme, which supports women scientists returning to research after career breaks.

Additionally, the Indian Council of Medical Research spearheads several programmes promoting women's health and training for women scientists. While these initiatives reflect progress, they must scale into broader reforms to ensure that women scientists are recognised, empowered, and valued.

As India continues to push the boundaries of scientific and technological advancement, the full inclusion of women in this journey is not only a matter of fairness but also an example of true progress that can set a powerful example for the world to emulate.

With India continuing to push the boundaries of scientific and technological advancement, it must ensure the full inclusion of women in this journey

GS Paper 01 सामाजिक मुद्दे

UPSC Mains Practice Question: भारत में STEM करियर में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।"

संदर्भ:

- STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में महिलाओं को शैक्षिक, सांस्कृतिक और प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी भागीदारी और करियर विकास में बाधा डालती हैं। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद, STEM में लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है।

STEM में महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

1. प्रारंभिक शैक्षिक बाधाएँ और सामाजिक मानदंड

- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण STEM शिक्षा तक सीमित पहुँच।
- लैंगिक मानदंड लड़कियों को विज्ञान से संबंधित करियर बनाने से हतोत्साहित करते हैं।
- परिवारों, शिक्षकों और साथियों से प्रोत्साहन की कमी।

2. कार्यस्थल की चुनौतियाँ और लैंगिक रूढ़ियाँ

- महिलाओं को भर्ती और पदोन्नति में पक्षपात का सामना करना पड़ता है, जो उनके करियर की प्रगति को सीमित करता है।
- नेतृत्व की भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व निर्णय लेने के प्रभाव को प्रभावित करता है।
- महिला वैज्ञानिकों को अक्सर वित्त पोषण और शोध के अवसरों के लिए अनदेखा किया जाता है।

3. उत्पीड़न और भेदभाव

- शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण प्रतिधारण को रोकता है।
- महिलाओं को शिक्षा और शोध संस्थानों में अंतर्निहित पक्षपात का सामना करना पड़ता है।

4. कार्य-जीवन संतुलन और करियर ब्रेक

- करियर पर परिवार को प्राथमिकता देने का दबाव करियर में ठहराव की ओर ले जाता है।
- मातृत्व अवकाश और चाइल्डकैअर के लिए सीमित सहायता।
- मेंटरशिप और सहायता की कमी के कारण पोस्टडॉक-टू-फैकल्टी संक्रमण कठिन बना हुआ है।

STEM में लैंगिक असमानता: डेटा इनसाइट्स

38 देशों में STEM वैज्ञानिकों का अध्ययन

- गैर-समावेशी कार्य वातावरण के कारण महिलाओं के लिए उच्चतर एट्रिशन दरें।
- कार्य-जीवन संतुलन और उच्च प्रभाव वाले शोध अवसरों तक सीमित पहुँच करियर की प्रगति में बाधा डालती है।

भारत-विशिष्ट डेटा (2020-21 सर्वेक्षण, 98 संस्थान)

- STEM क्षेत्रों में केवल 17% संकाय सदस्य महिलाएँ थीं।
- अनुशासन के अनुसार असमानता:
  - जीवविज्ञान में 23%
  - इंजीनियरिंग में 8%
- शीर्ष रैंक वाले संस्थानों और वरिष्ठ संकाय पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

STEM में लैंगिक असमानता पर मुख्य सैद्धांतिक रूपरेखाएँ:

- मटिल्डा प्रभाव: विज्ञान में महिलाओं के योगदान को अक्सर पुरुष सहकर्मियों द्वारा कम करके आंका जाता है या उनकी अनदेखी की जाती है।
- लीकी पाइपलाइन: पक्षपातपूर्ण शिक्षण पद्धति, रोल मॉडल की कमी और कार्यस्थल भेदभाव के कारण महिलाएँ STEM से बाहर हो जाती हैं।
- च्यूट और लैडर मॉडल: प्रणालीगत बाधाएँ (मेंटरशिप गैप, करियर में व्यवधान, छिपा हुआ ज्ञान) STEM करियर में महिलाओं की प्रगति में असंगत रूप से बाधा डालती हैं।

STEM में महिलाओं के लिए नीति और संस्थागत हस्तक्षेप:

विज्ञान में लैंगिक समानता के लिए सरकारी पहल

1. GATI (संस्थाओं को बदलने के लिए लैंगिक उन्नति) - 2020

- STEM में समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

2. WISE-KIRAN (विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी)

- STEM अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करता है।

3. महिला वैज्ञानिक योजना (WOS)

- महिला वैज्ञानिकों द्वारा संचालित शोध परियोजनाओं को निधि प्रदान करना।

4. बायोकेयर (बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम)

- महिला वैज्ञानिकों को करियर ब्रेक के बाद शोध फिर से शुरू करने में मदद करता है।

5. आईसीएमआर के महिला-केंद्रित कार्यक्रम

- महिला वैज्ञानिकों के लिए महिला स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशिक्षण का समर्थन करता है।

STEM में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए सिफारिशें:

संस्थागत समर्थन और नीति सुधार

- लचीले कार्य विकल्प, किफायती चाइल्डकैअर और परिवार-सहायक नीतियाँ।
- नियुक्ति, पदोन्नति और वित्तपोषण में लैंगिक पूर्वाग्रह को संबोधित करना।

दृश्यता और रोल मॉडल को बढ़ाना

- महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की मान्यता।
- रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए सफलता की कहानियाँ दिखाना।
- BiasWatchIndia जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक असमानताओं पर नज़र रखना।

मेंटरशिप और करियर प्रगति सहायता

- STEM में महिलाओं के लिए मजबूत मेंटरशिप नेटवर्क।
- अनुसंधान अनुदान पर आयु प्रतिबंध को समाप्त करना।
- मातृत्व या व्यक्तिगत अवकाश के बाद करियर में पुनः प्रवेश के लिए सहायता।
- निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना।

आगे की राह:

भारत का वैज्ञानिक विकास समावेशी होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला वैज्ञानिकों को मान्यता मिले, उनका समर्थन हो और उन्हें सशक्त बनाया जाए। यह सिर्फ़ लैंगिक समानता का मामला नहीं है, बल्कि नवाचार और राष्ट्रीय प्रगति के लिए भी ज़रूरी है।

GEO IAS
It's about quality